न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 40 / 2024
जीसीएमएस न0 2024 / 127

श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय , कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) जरीये चेयरपर्सन कैलाशचंद्र मून्दड़ा।

– प्रार्थी

बनाम

1. शेषावतार 1008 कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान कमधज नगर निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ जरिये अध्यक्ष।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री राजेश जैन – अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री विशाल कुमावत – अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 13 / 11 / 2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा जावदा पटवार हल्का जावदा तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नंबर 2012 / 1838 रकबा 10.37 हैक्टेयर स्थित है।

2. वर्ष 2002 में वेदपीठ की स्थापना वैदिक साहित्य पर शोधकार्य करने भारतीय ग्रन्थों का शोध एवं प्रकाशन एवं शैक्षणिक गतिविधियों से सम्बन्धित नर्सरी विद्यालय से महाविद्यालयी शिक्षा अध्ययन एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ उच्चतर शिक्षा वैदिक विश्वविद्यालय व अनुसंधान के लिए तथा समिति के माध्यम से वैदिक एवं संस्कृत साहित्य में पारम्परिक अध्ययन अनुसंधान मानविकी वाणिज्य, विज्ञान, प्राविधिक आयुर्वेदिक आयुर्विज्ञान औषध विज्ञान बुजुर्ग व्यक्तियों का सम्मान बनाये रखने एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को बरकरार रखने हेतु वृद्धाश्रम की स्थापना करना आदि सामाजिक एवं जनहित के कार्यों को सम्मिलित करते हुए शेषावतार 1008 कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान का गठन किया गया।

3. संस्थान द्वारा विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ–साथ कदम मिलाने को दृष्टिगत रखते हुए युवाओं को उनके निकटतम स्थान पर आधूनातन शैक्षणिक सुविधाओं का उपबंध करने के लिए राज्य के विश्व स्तरीय आधुनिक अनुसंधान व अध्ययन सुविधाओं को सृजन करना आवश्यक मानते हुए एवं उन्हें विश्व की उदार आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मानव संसाधनो की परि[illegible] अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान विधान मडल जयपुर द्वारा श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय कमधज नगर निम्बाहेडा (चित्तोडगढ़) के नाम से दिनांक 27 मार्च 2018 को अधिनियम [illegible] किया गया जिसका राजपत्र में प्रकाशन दिनाक 28 मार्च 20[illegible] को हुआ जिससे [illegible] कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय कमधज नगर निम्बाहेड़ा (चित्तोडगढ) अधिनियम 28 मार्च 2018 से प्रभावशील हो गया। उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार दिनाक 28 मार्च 2018 से श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय कमधज नगर निम्बाहेड़ा के नाम से निर्गमित निकाय का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:37:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

गठन किया जाकर नियमानुसार चेयरपर्सन की नियुक्ति की गई एवं इस विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल के द्वारा संचालन किया जा रहा है।

4. श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय कमधज नगर निम्बाहेड़ा (चित्तोडगड) अधिनियम 2018 की धारा 3(2) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ठ जगम व स्थावर सम्पत्ति विश्वविद्यालय में निहित की जायेगी और प्रायोजक निकाय इस अधिनियम को लागू होने के ठीक पश्चात् ऐसा करने के लिए निहित कदम उठायेगी। भूमि नाम पर कराने की कार्यवाही की जानी थी किन्तु कतिपय कारण विशेष परिस्थितिवश नियमों की पालना नहीं होने से इस नियम की पालना में यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त अधिनियम की धारा3(2) की पालना के अभाव में विश्वविद्यालय संचालन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भी इसमें जानकारी चाही जा रही है उका परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 3(2) की पालना में अनुसूची1 में वर्णित सम्पति श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय कमधज नगर निम्बाहेडा के नाम दर्ज कराई जाना आवश्यक है।

5. अतः प्रार्थना पत्र निवेदन है कि ग्राम जावदा की आराजी नबर 2012/1838 रकबा 10.37 हेक्टेयर भूमि शेषावतार 1000 कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान के बजाए पैरा दो में अंकित अधिनियम की धारा 3(2) में वर्णित प्रावधान कि पालना में श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय कमधज नगर निम्बाहेड़ा के नाम इंद्राज दुरूस्ती करवाने का श्रम करें।

6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी नं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कल्पना सोनी ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब पेश किया, तथा अपने जवाब मे अंकन किया कि राजस्थान विधान मण्डल जयपुर द्वारा प्रार्थी संस्था श्री कल्ला जी वैदिक विश्वविधालय कमधज नगर निम्बाहेडा के के नाम से अधिनियम 2018 पारित किया गया है जो राजस्थान राजपत्र मे प्रकाशन दिनांक 28.03.2018 से लागु है जिसकी पालना मे निर्गमित निकाय का गठन कर चेयरपर्सन की नियुक्ति की जाकर श्री कल्ला जी वैदिक विश्व विधालय के प्रबंधक मण्डल के द्वारा संचालित किया जा रहा है साथ ही श्री शेषावतार 1008 कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान कमधज नगर निम्बाहेडा के नाम पर जंगम एवं स्थावर सम्पत्ति जो तहसील निम्बाहेडा के राजस्व ग्राम जावदा की आराजी नम्बर 2012/1828 रकबा 10.37 हैक्टेयर मुमि वर्ष 2018 से ही प्रार्थी सस्था के आधिपत्य में होकर उसी के द्वारा उपयोग उपभोग किया जा रहा है अतः राजस्थान विधान मण्डल जयपुर द्वारा पारित अधिनियम की पालना मे प्रार्थी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने मे विपक्षी संख्या 01 को कोई आपत्ती नही है। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की और निवेदन किया कि

I. ग्राम जावदा की आराजी नं0 2012/1838 रकबा 10.37 हैक्टेयर किस्म विश्वविद्यालय जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में शेषावतार 1008 कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान कमधज नगर निम्बाहेड़ा (99 वर्षीय लीज पर) पूर्ण लीज होल्डर खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है।

II. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि में लीज होल्डर का नाम श्री शेषावतार 1008 कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान, कमघज नगर, निम्बाहेड़ा के बजाय श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) कराने का निवेदन किया है।

III. प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के साक्ष्य में राजस्थान राजपत्र विशेषांक अधिसूचना जयपुर, मार्च, 28, 2018 की प्रति पेश की गई, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) अधिनियम, 2018 की अधिसूचना प्रकाशित की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:37:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

IV. प्रार्थी, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक अधिसूचना जयपुर, मार्च, 28, 2018 के आधार पर ग्राम जावदा की आराजी नं0 2012/1838 रकबा 10.37 है० भूमि में लीज होल्डर का नाम शेषावतार 1008 कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान के बजाय श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा कराना चाहता है।

V. राजस्थान राज–पत्र विशेषांक अधिसूचना जयपुर, मार्च, 28. 2018 के क्रमांक 3 के (2) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट जंगम और स्थावर संपत्ति विश्वविद्यालय में निहित की जायेगी और प्रायोजक निकाय इस अधिनियम के प्रारंभ हाने के ठीक पश्चात् ऐसा निहित करने के लिए कदम उठायेगा।

VI. राजस्थान राज–पत्र विशेषांक अधिसूचना जयपुर, मार्च, 28, 2018 के आधार पर ग्राम जावदा की खाता संख्या 584 आराजी नं0 2012/1838 रकबा 10.37 है० किस्म विश्वविद्यालय में लीज होल्डर का नाम श्री शेषावतार 1008 कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान, कमघज नगर, निम्बाहेड़ा के बजाय श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेडा (चित्तौडगढ़) किया जाना उचित है।

7. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

8. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

9. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:37:36 IST
Reason: SelfAttested

10. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि राजस्थान राज–पत्र विशेषांक अधिसूचना जयपुर, मार्च, 28, 2018 के आधार पर ग्राम जावदा की खाता संख्या 584 आराजी नं0 2012/1838 रकबा 10.37 है० किस्म विश्वविद्यालय में लीज होल्डर का नाम श्री शेषावतार 1008 कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा के बजाय श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेडा (चित्तौडगढ़) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
श्री कल्लाजी बनाम शेषावतार
GCMS No- 2024/127
प्रकरण संख्या – 40/2024

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम जावदा पटवार हल्का जावदा तहसील निम्बाहेडा के आ.न. 2012/1838 रकबा 10.37 हैक्टेयर किस्म विश्वविद्यालय में लीज होल्डर का नाम श्री शेषावतार 1008 कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा के बजाय श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेडा (चित्तौडगढ़) के नाम दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

(विकास पंचोली)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:37:36 IST
Reason: SelfAttested